रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-73

REGISTERED No. D.(D)-73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 2] नई दिल्ली, शनिवार, जनवरी 10, 1981/पौष 20, 1902

No 2] NEW DELHI, SATURDAY, JANUARY 10, 1981/PAUSA 20, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय अधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं

General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

विधि, न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय

(विधायी विभाग)

शुद्धिपत्र

नई दिल्ली 12 दिसम्बर 1980

सा० का० नि० 25—भारत के राजपत्र भाग 2 खण्ड-3 उपखण्ड (i) तारीख 13 सितम्बर 1980 के पृष्ठ 1945—47 पर प्रकाशित भारत सरकार के विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सं० सा० का० नि० 924 तारीख 18 अगस्त 1980 में विधि न्याय और कम्पनी कार्य मंत्रालय (विधायी विभाग) राजभाषा खण्ड (समूह 'क' पद) भर्ती (द्वितीय संशोधन) नियम 1980 में निम्नलिखित शुद्धि की जाती है—

पृष्ठ 1946 पर

(i) स्तम्भ 2 की छठी पंक्ति में 'हिन्दी तथा सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा के स्थान पर 'हिन्दी' पढ़ें,

पृष्ठ 1947 पर—

(ii) स्तम्भ 1 की पाचवीं पंक्ति में हिन्दी तथा सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा के स्थान पर "सम्बद्ध प्रादेशिक भाषा' पढ़ें।

[सं० ए० 12011/7/79-प्रशा०-I (वि०वि०)]

का० बा० अय्यर, उप सचिव

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS

(Legislative Department)

CORRIGENDUM

New Delhi, the 12th December, 1980

G.S.R. 25.—In the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department), Official Languages Wing (Group 'A' Posts) Recruitment (Second Amendment) Rules, 1980, published with the Notification of the Government of India in the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department) No G.S.R. 924, dated the 18th August, 1980, at pages 1947-1948 of the Gazette of India, Part II-Section 3 Sub-section (i), dated the 13th September, 1980—

at page 1948—

(i) in column 1, in lines 43 and 44, for "Hindi regional language concerned", read "Hindi";

(ii) in column 2, in line 26, for "Hindi, regional language concerned", read "regional language concerned".

[No A 12011/7/79-Adm I(LD)]

K. B IYER, Dy Secy

1	2	3	4	5	6	7	8
						से भिन्न जो अन्दमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में रहते हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।	ग्रंथ सूचियां, तकनीकी कागज-पत्र, रिपोर्टों के अभिन्यास आदि तैयार करने का या तैयार करवाने का लगभग दस वर्ष का अनुभव। विद्युत से चलने वाली प्रत्युत्पादन मशीनों का कार्यसाधक ज्ञान।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भर्ती किए जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
9	10	11	12	13	14
लागू नहीं होता	दो वर्ष	प्रतिनियुक्ति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा। (प्रतिनियुक्ति सामान्यतः तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)	प्रतिनियुक्ति ऐसे उच्च श्रेणी लिपिकों में से जिन्होंने आकाशवाणी/दूरदर्शन में श्रोता अनुसंधान में अपनी-अपनी श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष से पांच वर्ष तक का अनुभव है और जिनके पास तकनीकी अनुसंधान दस्तावेज आदि तैयार करने का भी कुछ अनुभव है तथा बिजली से चालित प्रत्युत्पादन मशीनों का कार्यसाधक ज्ञान है।	(1) निदेशक, श्रोता अनुसंधान, आकाशवाणी—अध्यक्ष (2) उपनिदेशक, श्रोता अनुसंधान, आकाशवाणी—सदस्य (3) अवर सचिव (योजना आयोग)—सदस्य	लागू नहीं होता

[सं० 12019/1/75-प्रो० (ए०)]
आर० सी० जोशी, अवर सचिव

New Delhi, the 17th December, 1980

G.S.R. 45.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, namely :—

1. (1) These rules may be called the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the All India Radio (Group 'C' Posts) Recruitment Rules, 1964, after serial No. 71 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

SCHEDULE

S. No.	Name of post	No. of post	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection posts	Age for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruitment
1	2	3	4	5	6	7	8
"72	Supervisor	One *Note Subject to variation depending on work load	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial (Non-Gazetted)	Rs. 425-15-500-EB-15-560-20-700	Not applicable	35 years. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep)	1. Matriculate of recognised University or Board or equivalent. 2. About 10 years' experience in assisting or in preparing technical or research documents such as survey reports, bibliographies, technical reports, etc. 3. Working knowledge of electrically operated reproduction machines

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of rectt. whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of rectt. by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made	If a DPC exists, what is its composition	Circumstances in which UPSC is to be consulted in making rectt.
9	10	11	12	13	14
Not applicable	Two years	By deputation failing which by direct recruitment. (Deputation normally not exceeding three years)	From amongst the Upper Division Clerks and Tabulator Clerks who have at least three to five years experience respectively in their grade, in Auidience Research in All India Radio/Television and also having some experience in preparing technical reserch documents etc. as well as working knowledge of electrically operated reproduction machines.	Director, Audience Research, All India Radio —Chairman Deputy Director, Audience Research, All India Radio Member. Under Secretary (Planning Commission)—Member	Not applicable.

[No. 12019/1/78-B(A)]
R.D. JOSHI, Under Secy.

संचार मंत्रालय

(डाक तार बोर्ड)

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 1980

1 व्यापारिक रेडियो लाइसेंस (वितरक) संशोधन नियम, 1978 (1979 की सा० का० नि० संख्या 60) में संशोधन ; और

2 भारतीय वायरलेस तार संचार (अधिकार) संशोधन नियम, 1978 (1979 की सा० का० नि० संख्या 61) में संशोधन।

सा० का० नि० 46—भारतीय वायरलेस तार संचार अधिनियम, 1933 (1933 का 17) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा व्यापारिक रेडियो लाइसेंस (वितरक) संशोधन नियम 1978 (1979 की सा० का० नि० संख्या 60) और भारतीय वायरलेस तार संचार अधिकार) संशोधन नियम, 1978 (1979 की सा० का० नि० संख्या 61) में और आगे संशोधन करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

(1) ये नियम (i) व्यापारिक रेडियो लाइसेंस (वितरक) संशोधन नियम 1980; (ii) भारतीय वायरलेस तार संचार (अधिकार) संशोधन नियम 1980 कहे जाएंगे।

(2) नियमों के लघु शीर्षकों के अन्तर्गत, वर्ष "1978" "1979" से प्रतिस्थापित किया जाए।

[सं० 2-28/77-बी० आर० एल०]
वाई० डी० सरदाना, सहायक महानिदेशक (बी० आर० एल०)
पी० एण्ड टी० निदेशालय

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

(Post & Telegraphs Board)

New Delhi, the 27th October, 1980

1. Amendment to the Commercial Broadcast Receiver Licensing (Dealers) Amendment Rules, 1978 (G.S.R. No. 60 of 1979); and

2. Amendment to the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Amendment Rules, 1978 (G.S.R. 61 of 1979).

G.S.R 46.—In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Indian Wireless Telegraphy Act, 1933 (17 of 1933), the Central Government hereby makes the following Rules, to amend further Commercial Broadcast Receiver Licensing (Dealers) Amendment Rules 1978 (G.S.R. No. 60 of 1979) and the Indian Wireless Telegraphy (Possession) Amendment Rules, 1978 (G.S.R. 61 of 1979), namely:—

1. These rules may be called (i) The Commercial Broadcast Receiver Licensing (Dealers) amendment Rules, 1980, (ii) The Indian Wireless Telegraphy (Possession) amendment Rules, 1980.

2. In the short titles of the Rules, the Year "1978" may be substituted with "1979".

[No. 2-28/77-BRL]
Y. D. SARDANA, Asstt. Director General
(BRL) P. & T. Directorate

नई दिल्ली, 26 दिसम्बर, 1980

सा० का० नि० 47.—संविधान की धारा 309 के परन्तुक द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इंजीनियरी पर्यवेक्षक (भर्ती), नियम, 1974 के प्रतिस्थापन में डाक-तार विभाग में कनिष्ठ इंजीनियरों की भर्ती का विनियमित करते हुए राष्ट्रपति एतद्द्वारा निम्न नियम बनाते हैं अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ :—(1) इन नियमों को कनिष्ठ इंजिनियर (भर्ती) नियम, 1980 कहा जाये।

(2) ये सरकारी राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2 पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान :—इन पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतनमान इन नियमों से अनुबद्ध अनुसूची के कालम 2, 3 व 4 में उल्लिखित है।

3. भर्ती का तरीका, आयु सीमा, योग्यता आदि :—उक्त पदों के लिये भर्ती का तरीका, आयु सीमा योग्यतायें तथा अन्य बातें उक्त अनुसूची के 5 से 13 तक के कालमों में दी गई हैं।